<u>महत्वपूर्ण/तत्काल/सर्वोच्च प्राथमिकता</u>

<u>संख्या -24/405/84-2-2013-सीपी 24/2006 टीसी</u>

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) जिलाधिकारी,
लखीमपुर खीरी ।

(2) जिला पूर्ति अधिकारी,
लखीमपुर खीरी ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 25 सितम्बर,2013

विषय भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली से प्रदेश में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त धनराशि की उपयोगिता विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला पूर्ति अधिकारी, लखीमपुर खीरी के पत्र संख्या-4255/जि0पू0अ0/अधि0/2013, दिनांक 04 जुलाई, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा धनराशि रूपया 27,000/- का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र जीएफआर 19ए पर उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि रूपया 98,000/- को ट्रेजरी चालान संख्या-डी 84480023, दिनांक 23.03.2009 द्वारा शासन के पक्ष में जमा करने की सूचना दी गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अवशेष धनराशि रूपया 98,000/- का प्राविधान अनुपूरक के माध्यम से कराये जाने हेतु प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए शासन के पत्र संख्या-290/84-2-2013-सीपी 24/2006 टीसी, दिनांक 13 अगस्त, 2013 द्वारा आपको निर्देश दिया गया है। उक्त सूचना अप्राप्त है। कृपया इसे शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://sinsanadesh.up.nic.in